

29/01/2020

पक्षावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.।
अप्रार्थी तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत
प्राप्त हुआ जो बयोलबन है। बहस
सुनी गयी। ~~सका~~ P.T.O

श्री ५७ नं. १२६२, बाबु

तारीख
हुक्म

प्रकरण संक्षिप्त में निम्नानुसार है।

- 1) सैठाराम S/O ईग्याराम
- 2) पुष्करराज S/O ईग्याराम
- 3) कानाराम S/O ईग्याराम
- 4) पलसी S/O ईग्याराम
- 5) घायु S/O ईग्याराम
- 6) रैतल W/O ईग्याराम

बनाम

अप्रार्थी :-

1) तहसीलदार तिवरी

यह है कि ग्राम बिजारीया
बावड़ी, तह- तिवरी के ख. न. 545/
रकबा 46 बीघा 09 बिस्वा, जमावंदी में
मैराराम, ईझाराम S/O लखूराम, उदराराम
S/O हीराराम कुम्हार के नाम दर्ज है।
प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी
के पिता व पति का नाम मूलवंश
ईझाराम दर्ज हो गया। जबकि
वास्तविक नाम ईग्याराम है। तहसीलदार
तिवरी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया
जिसमें ईझाराम न होकर ईग्याराम
पिता लखूराम होने व प्रार्थी के पिता
व पति का नाम सही करने की
अभिशांखा की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
मृत्यु प्रमाण - पत्र से भी यह साबित
होता है कि ईग्याराम सही नाम है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना - पत्र
स्वीकार किया जाता है। तथा निर्णय
को पालना हेतु तहसीलदार तिवरी
को तहरीर जारी हो।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम या इत
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर
से काम की जाकर दाखिल दफ्तर है।

अहकाम कर कमिटर, मोरिया

